

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/126

प्रार्थीया विमला देवी उर्फ श्योपती पुत्र श्री ताराचन्द पत्नी श्री धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी चक 26 जे आर के कान्हेवाला तहसील पीलीबंगा व जिला हनुमानगढ ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद गुम होने का हलफनामा एवं एफआईआर प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता ताराचन्द पुत्र चैनाराम जाति कुम्हार निवासी गांव 3 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 21.05.1996 को वसीयत करस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 22.05.2000 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 21.05.1996 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थीया को गवाहान धर्मपाल पुत्र सहीराम एवं नत्थूराम पुत्र गोपीराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री राजेन्द्र वर्मा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सीलड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

AIC. Identity Byme

12/11/21